



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 09.09.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 06 मामलों में 07 अभियुक्तों को कारावास व अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बसंल के कुशल निर्देशन में 06 मामलों में 07 अभियुक्तों को कारावास व अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग- 696/18 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त जितेन्द्र सोनी पुत्र उमाशंकर सोनी निवासी ग्राम खुटला थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को 01 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।
2. थाना अतर्रा पर पंजीकृत अभियोग- 272/22 धारा 60 आवकारी अधिनियम के अभियुक्त विद्याधर कुशवाहा पुत्र राम शरन कुशवाहा निवासी राजा राम चहोरियन का पुरवा थाना अतर्रा जनपद बांदा को 2500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।
3. थाना अतर्रा पर पंजीकृत अभियोग- 166/05 धारा 25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त कमल सिंह पुत्र किशन पाल निवासी ग्राम पिस्टा थाना बिसण्डा जनपद बांदा को 1500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।
4. थाना अतर्रा पर पंजीकृत अभियोग- 231/14 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त दुर्गा पुत्र शिवमोहन निवासी कर्वी थाना कर्वी को 1500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।
5. थाना फतेहगंज पर पंजीकृत अभियोग- 53/17 धारा 279/337/338 भादवि के अभियुक्त प्रेमचन्द्र यादव पुत्र मेडवा निवासी महुआ कछार थाना कोतवाली कर्वी को 2500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।
6. थाना फतेहगंज पर पंजीकृत अभियोग- 20/16 धारा 323/504 भादवि के अभियुक्तगण 1. कमलेश पुत्र शिव प्रसाद 2. प्रमोद पुत्र बामन निवासीगण बिन्दा का पुरवा महुआ थाना फतेहगंज को 1500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।